मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ, भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15/07/2021

क्रमांक: 544/94/सीसी/2021/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2021–22 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी किये जाते हैं।

सलग्न– प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत

15/07
(श्वेता पवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक:545/94 /सीसी/2021/अड़तीस भोपाल, दिनांक 15/07/2021

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/ उज्जैन/ छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2021–22

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल – 462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755–2551698, 2554763

E-mail:- epravesh12@gmail.com

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :– 0755–6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

8. ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-

8.1 सी.एल.सी चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

8.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नही किये जायेंगे।

8.3 प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाईन सी.एल.सी चरण में महाविद्यालयों में मूल सीटों के विरूद्व शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

8.4. सी.एल.सी चरण में समय–सारणी अनुसार द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 28.1 से 28.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 28.12 के प्रावधानों के निहित समय–सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।

8.5 ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रकिया में समय सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।

8.6 प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश लेकर, प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाईन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है।

8.7 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

8.8 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नही कराया है। समय–सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई–सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिन्दु क्र 6 में उल्लेखित कण्डिका 6.1 से 6.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तदनुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें।

8.9 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।

8.10 सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

8.11 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ. शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मॉड्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाध्यता नहीं होगी। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

ENGLISH TRANSLATION

8. Re-choice election and allotment process for filling vacant seats left in CLC round at the colleges.

8.3 After completion of First and Second round of admission process, the admission will be provided on vacant seats against the total seats in the online CLC round at the college.

8.4 Following the admission rules clauses from 28.1 to 28.9, after the completion of second round of admission. if the applicants of the concerned reserved category are not available than the vacant seat is converted to general (unreserved) seats in CLC round. As per the prescribed timetable of the provision clause 28.12.

8.5 After second round in online CLC round, applicant may make changes/amendments in the previous preference in vacant seats according to the given timetable.

28. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

28.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

28.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

28.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

28.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा–

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

28.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

28.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :– आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.–5अ/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

28.7 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

28.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

28.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

28.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

28.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :–

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी।

28.11.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे –

(अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।

(स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र।

(द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गवर्निंग बॉडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।

(य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्यावार/ संकायवार एकजाई जानकारी।

(र) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।

28.11.2 क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन कंडिका 28.11.1 में उल्लेखित 6 प्रमाण पत्र/प्रपत्रों की ऑनलाईन अपलोड प्रतियों के आधार पर किया जाएगा।

28.12 कंडिका 8.4 अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

28.13 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

28.14 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

29. अधिभार :–

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।